– 544

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग   21 रा0 (विभाग)

(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0–म0नि0–II–उ0यो0–36 / 2016–17 /   / मत्स्य, राँची, दिनांक 17/07/2018

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय अंतर्गत कुल मो0 800.00 लाख (आठ करोड़) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य योजना में मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय अंतर्गत संलग्न ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 932 दिनांक 17.07.18 द्वारा मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना की कुल मो0 800.00 लाख (आठ करोड़) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर योजना एवं कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मत्स्य स्पॉन के उत्पादन के लिए ग्रामीणों को फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी संचालन कार्य में प्रशिक्षित कर हैचरी का संचालन कराना है। इन पोर्टेबल हैचरियों का अधिष्ठापन जलाशयों/बड़े जलकरों के समीप उपयुक्त स्थलों पर कराया जाएगा ताकि पानी की कमी नहीं रहे। इस योजना से राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 59 फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी की स्थापना कराई जाएगी।

2. राशि का अनुमानित व्यय निम्न बजट शीर्षों में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिये समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :-

माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट
1	2	3
1	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-73-मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53 S 440500796730545	450.00
2	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-73-मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53 S 440500101730545	350.00
	कुल योग :	800.00

मो0 800.00 लाख (आठ करोड़) रू0 मात्र।

3. जिला मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति अथवा लाभुक समूह के साथ वार्ता कर स्थल का चयन किया गया है। चयनित लाभुक समूह की सूची पर संबंधित जिला के उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

4. हैचरी का निर्माण प्रमुखत: ऐसे स्थलों पर किया जाएगा जो जलाशयों/बड़े जलकरों के नजदीक हों तथा पर्याप्त पानी की सुविधा हो -

4.1 बोरिंग से हैचरी संचालन में कठिनाई तथा पानी की कमी एवं जलकरों के पास जमीन की कमी के कारण आर0सी0सी0 हैचरी के स्थान पर फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी की स्थापना का विकल्प लिया गया है।

4.2 फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति/स्थानीय यूजर ग्रुप के लिए उपयुक्त है। यूजर ग्रुप अथवा मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को हैचरी संचालक के रूप में प्रशिक्षण दिया जाना है।

5. इस योजना अन्तर्गत जलाशय तथा तालाबों के पास फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी अधिष्ठापन का प्रस्ताव है। तालाबों के पास हैचरी के लिए डीप बोरिंग की आवश्यकता होगी। इस प्रकार दोनों स्थलों के लिए इकाई लागत स्वरूप आवश्यक राशि की गणना निम्न विवरणी में अंकित है -

(राशि रू0 में)

क0 सं0	हैचरी कॉम्पोनेन्ट	जलाशयों के पास	तालाबों के पास
1	वाटर टैंक - 35000 लीटर क्षमता	मो0 7,93,400/-	मो0 7,93,400/-
2	ब्रीडिंग एवं हैचिंग पूल - 4		
3	ब्रीडिंग एवं हैचिंग पूल हेतु प्लेटफॉर्म - 4		
4	शेल्टर हॉउस-सह-स्टोर रूम - 1	मो0 2,76,200/-	मो0 2,76,200/-
5	डीप बोरिंग कार्य - 1	-	मो0 3,51,100/-
6	जलापूर्ति हेतु पम्पसेट, पाईप इत्यादि	मो0 1,00,000/-	मो0 1,00,000/-
	कुल	**मो0 11,69,600/-**	**मो0 15,20,700/-**

उपर्युक्त कमांक 1, 2, 3 तथा 4 के योजना का मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसपर जिला अभियंता, जिला परिषद, राँची की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 07.03.2018 को प्रदत्त है। कमांक 5 पर अंकित डीप बोरिंग के प्राक्कलन पर कार्यपालक अभियंता, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड, राँची की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 22.02.2016 को प्रदत्त है।

6. (i) एक हैचरी संचालन हेतु 5-6 व्यक्तियों के समूह की आवश्यकता होगी जिन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। एक हैचरी से सामान्यत: प्रतिवर्ष 3-4 करोड़ मत्स्य स्पॉन का उत्पादन संभावित है। इससे मत्स्य कृषकों को स्वस्थ स्पॉन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। मत्स्य स्पॉन हेतु प0 बंगाल पर निर्भरता कम होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

(ii) हैचरी के फैब्रिकेशन स्थल पर कार्यरत मत्स्यजीवी सहयोग समिति अथवा यूजर ग्रुप के लिए राज्य स्तर से **Empanelled Agency** से कराया जाएगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी मत्स्यजीवी सहयोग समिति/लाभुक समूह के बैंक खाते में राशि उपलब्ध करा देंगे।

7. योजना के अन्तर्गत फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी निर्माण की गुणवंत्ता मॉडल प्राक्कलन के अनुरुप कराना संबन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

8. (क) इस योजना अन्तर्गत संपूर्ण राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय होगी एवं इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे जो राज्यादेश के परिशिष्ट-1 में अंकित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

(ख) राज्य योजना प्राधिकृत समिति के आदेश के आलोक में वास्तविक खर्च के आधार पर ही भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

9. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

10. वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह योजना स्वीकृत नहीं थी।

11. योजना के अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

12. यह एक राज्य योजना है।

13. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. संलेख सं0 665 दिनांक 18.06.2018 के आलोक में राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.06.2018 की बैठक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा बैठक की कार्यवाही माननीय मुख्य (योजना-सह-वित्त) मंत्री जी के अनुमोदन उपरान्त योजना-सह-वित्त विभाग के ज्ञापांक रा0यो0प्रा0 - 134/2018 दिनांक 03.07.2018 द्वारा कार्यवाही निर्गत है।

16. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक 301 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

17. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

18. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

20. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

16.7.18

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 21 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 17/07/2018

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 21 रा० (वि०)/मत्स्य / राँची , दिनांक 17/07/2018

प्रतिलिपिः- योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची /विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 21 रा० (वि०)/मत्स्य / राँची , दिनांक 17/07/2018

प्रतिलिपि माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16.7.18

सरकार के सचिव।

परिशिष्ट - 1

वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष 4405–मछली–पालन पर पूँजीगत् परिव्यय–उप शीर्ष –73–मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना अन्तर्गत लघु शीर्ष एवं जिलावार भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय लक्ष्य (रू0 में)

क्र0	जिला का नाम	लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य					लघु शीर्ष –101– अन्तर्देशीय मछली पालन, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य					कुल भौतिक	कुल वित्तीय
		भौतिक (जलाशय के समीप)	वित्तीय (जलाशय के समीप)	भौतिक (तालाब के समीप)	वित्तीय (तालाब के समीप)	कुल वित्तीय	भौतिक (जलाशय के समीप)	वित्तीय (जलाशय के समीप)	भौतिक (तालाब के समीप)	वित्तीय (तालाब के समीप)	कुल वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राँची	3	3508800	1	1520700	5029500	0	0	0	0	0	4	5029500
2	खूंटी	0	0	2	3041400	3041400	0	0	0	0	0	2	3041400
3	गुमला	2	2339200	0	0	2339200	0	0	0	0	0	2	2339200
4	सिमडेगा	1	1169600	1	1520700	2690300	0	0	0	0	0	2	2690300
5	लोहरदगा	2	2339200	0	0	2339200	0	0	0	0	0	2	2339200
6	पलामू	0	0	0	0	0	2	2339200	0	0	0	2	2339200
7	लातेहार	0	0	2	3041400	3041400	0	0	0	0	2339200	2	3041400
8	गढ़वा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3041400
9	पूर्वी सिंहभूम	0	0	2	3041400	3041400	0	0	2	3041400	3041400	2	3041400
10	पश्चिमी सिंहभूम	1	1169600	3	4562100	5731700	0	0	0	0	0	4	5731700
11	सरायकेला	5	5580300	0	0	5580300	0	0	0	0	0	5	5580300
12	हजारीबाग	0	0	0	0	0	4	4353400	1	1520700	5874100	5	5874100
13	रामगढ़	0	0	0	0	0	0	0	2	3041400	3041400	2	3041400
14	कोडरमा	0	0	0	0	0	2	2339200	0	0	2339200	2	2339200
15	बोकारो	0	0	0	0	0	2	2339200	0	0	2339200	2	2339200
16	धनबाद	0	0	0	0	0	0	0	2	3041400	3041400	2	3041400
17	गिरिडीह	0	0	0	0	0	0	0	2	3041400	3041400	2	3041400
18	चतरा	0	0	0	0	0	0	0	1	1520700	1520700	1	1520700
19	देवघर	0	0	0	0	0	1	1169600	2	3041400	4211000	3	4211000
20	दुमका	0	0	2	3041400	3041400	0	0	0	0	0	2	3041400
21	जामताड़ा	0	0	2	3041400	3041400	0	0	0	0	0	2	3041400
22	पाकुड़	0	0	2	3041400	3041400	0	0	0	0	0	2	3041400
23	साहेबगंज	0	0	2	3041400	3041400	0	0	0	0	0	2	3041400
24	गोड्डा	0	0	0	0	0	1	1169600	2	3041400	4211000	3	4211000
	योग :	**14**	**16106700**	**19**	**28893300**	**45000000**	**12**	**13710200**	**14**	**21289800**	**35000000**	**59**	**80000000**

16.7.18

सरकार के सचिव